भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3949
दिनांक 12.08.2026 को उत्तर देने के लिए

राजस्थान में क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार खनिज

3949. श्रीमती संजना जाटवः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान राज्य सरकार से कोई पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें राज्य में क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार खनिजों के लिए खनन पट्टों के आवंटन के लिए ब्लॉक बनाने के लिए अन्वेषण कार्य से छूट देने का अनुरोध किया गया है;
(ख) यदि हां, तो उक्त पत्र कब प्राप्त हुआ था और इस पर अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चंद्र दुबे)

(क) और (ख): जी हां, खान मंत्रालय को राजस्थान सरकार से दिनांक 16.07.2026 का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें राज्य में क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार खनिजों के लिए खनन पट्टों के आवंटन हेतु ब्लॉक सृजित करने के लिए गवेषण कार्य से छूट देने का अनुरोध किया गया है। इस पत्र की एमएमडीआर अधिनियम, 1957 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के आलोक में जांच की गई और तदनुसार एक उपयुक्त उत्तर दिनांक 07.08.2026 को राज्य सरकार को भेजा गया।

(ग): उपर्युक्त के मद्देनजर कोई प्रश्न नहीं उठता।
